न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प @ उपला भीमाणा

मु० नं 2024/4

–:आदेश:–

प्रार्थी के *"खाता दुरुस्ती"* प्रार्थना पत्र एवं पटवारी भीमाणा व भू.अ.नि. भीमाणा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..../नायब तहसीलदार बाली की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम भीमाणा तहसील बाली व जिला पाली .... की जमाबन्दी सम्वत् [illegible] खाता संख्या 139 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :–

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	भीमाणा	139	अशोक कुमार पुत्र हंसा	आसाराम पुत्र हंसा

(   )
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
तहसीलदार, बाली
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, ...

दिनांक :– 1/1/24

क्रमांक :– कोर्ट/2024/ 4-6

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री आसाराम .... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

4 पटवारी भीमाणा

पीठासीन अधिकारी
तहसीलदार, बाली
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर.